भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 487

25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना

487. श्री देवजी एम॰ पटेलः

श्री अजय कुमारः

श्री पी॰पी॰ चौधरी

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज तक पी॰एम॰ किसान योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थियों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज तक प्रत्येक किस्त में पी॰एम॰ किसान योजना के अंतर्गत वितरित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को प्रदान करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पी॰एम॰ किसान योजना के विस्तृत रूप का ब्यौरा क्या है जो अब सभी किसानों को शामिल करेगी तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को पेंशन प्रदान करेगी तथा इस योजना में उक्त घटकों को शामिल करने के पश्चात योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार अपेक्षित संख्या कितनी है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)</u>

(क) एवं (ख) पीएम-किसान पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत तथा अब तक स्कीम के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) एवं (घ) जी,हां। सरकार ने देश भर में सभी किसानो की भू-जोतों के आकार को ध्यान में रखें बिना पीएम-किसान स्कीम का विस्तार किया है, जो अधिक आय वर्ग से संबंधित अन्य मौजूदा अपवर्जन मानदंडों के अध्यधीन है। देश में सभी पात्र किसानों की गिनती करने के प्रयोजनार्थ 2018-19 के लिए कृषि संगणना 2015-16 से संबधित भू-धारक किसानों की भू-जोतों के अनुमान इस्तेमाल में लाए गए हैं जिसके अनुसार देश में कुल अनुमानित भू-जोतों की संख्या 15,11,46,000 हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

अनुमानों का विवरण **अनुबंध-।। (कॉलम-IV)** में दिया गया है। कुछ अपवादों के बाद, मूल स्कीम से जुड़े लाभार्थियों की संख्या के अुनसार छोटे और सीमांत किसान लाभार्थियों की कुल अनुमानित संख्या 12.50 करोड़ हो गई थी। इसी प्रकार संशोधित स्कीम के तहत लाभार्थियों की कुल अनुमानित संख्या 14.50 करोड़ हो गई है। शुरू में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इस स्कीम के प्रयोजनार्थ 75000 करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे। इस स्कीम का दायरा विस्तारित होने के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्कीम से संबंधित अनुमानित खर्च को 217.50 करोड़ रूपए के प्रशासनिक प्रभारों सहित संशोधित करके 87,217.50 करोड़ रूपए कर दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने कतिपय अपवर्जन खंडों के अध्यधीन देश में सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके क्योंकि वृद्घावस्था में आजीविका के संसाधन समाप्त होने के फलस्वरूप उनके पास अपना गुजारा करने के लिए मामूली अथवा नहीं के बराबर बचत होती है। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र किसानों को प्रतिमाह न्यूनतम 3000/- रूपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह 18 से 40 वर्षों वाली आयु के व्यक्तियों के लिए एक अंशदायी एवं स्वैच्छिक स्कीम है। लाभार्थी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा संचालित पेंशन निधि में अंशदान देकर स्कीम का सदस्य बन सकता है। किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे पीएम-किसान स्कीम के खाते में सीधे प्राप्त लाभ में स्कीम में स्वैच्छिक अंशदान दे सकते हैं। केंद्र सरकार केन्द्रीय मासिक अंशदान का 50 प्रतिशत हिस्सा देगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई लाभार्थी 29 वर्ष की अवस्था में पेंशन में प्रतिमाह 100 रूपए का अंशदान देता है तो केंद्र सरकार द्वारा उसी अनुपात में 100 रूपए का अंशदान दिया जाएगा। अंशदाता की मृत्यु होने पर अंशदाता का पति अथवा पत्नी/उनका वारिस स्कीम में अंशदान देने का कार्य जारी रख सकता है। पेंशन प्राप्त करने वाले किसानों की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/पति पेंशन का 50 प्रतिशत हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने की हकदार होगी बशर्तें कि वे पहले से स्कीम के एसएमएस लाभार्थी न हों। 12.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों से संबंधित मूल पीएम-किसान डाटा पेंशन स्कीम के लिए लाभार्थियों की कुल संख्या को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ लिया गया है **(अनुबंध-।।, कॉलम-।।।)**। अपर्वजन के बाद, 18-40 वर्षों के निर्धारित आयु समूहों में निवल लाभार्थी लगभग 5 करोड़ किसान हो सकते है।

लो०स०अता०प्र०सं०487

अनुबंध-I

राज्य	**पहली किस्त का भुगतान (लाभार्थियों की संख्या)**	**पहली किस्त का भुगतान (राशि) (रुपये में)**	**दूसरी किस्त का भुगतान (लाभार्थियों की संख्या)**	**दूसरी किस्त का भुगतान (राशि) (रुपये में)**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10,004	20,008,000		0
आंध्र प्रदेश	3,443,116	6,886,232,000	3,126,852	6,253,704,000
अरुणाचल प्रदेश	0	0		0
असम	1,119,983	2,239,966,000	1,029,438	2,058,876,000
बिहार	231,873	463,746,000	219,136	438,272,000
चंडीगढ़	13	26,000		0
छत्तीसगढ़	111,898	223,796,000	109,434	218,868,000
दादरा और नगर हवेली	5,322	10,644,000		0
दमन और दीव	2,119	4,238,000		0
दिल्ली	0	0		0
गोवा	2,385	4,770,000	2,336	4,672,000
गुजरात	2,832,336	5,664,672,000	2,821,569	5,643,138,000
हरियाणा	942,052	1,884,104,000	935,929	1,871,858,000
हिमाचल प्रदेश	474,763	949,526,000	438,256	876,512,000
जम्मू और कश्मीर	497,204	994,408,000	459,593	919,186,000
झारखंड	470,307	940,614,000		0
कर्नाटक	320,721	641,442,000	231,847	463,694,000
केरल	935,786	1,871,572,000	931,661	1,863,322,000
लक्षद्वीप	0	0		0
मध्य प्रदेश	9,304	18,608,000		0
महाराष्ट्र	2,129,137	4,258,274,000	1,418,119	2,836,238,000
मणिपुर	7,276	14,552,000		0
मेघालय	76	152,000		0
मिजोरम	24,410	48,820,000	11,931	23,862,000
नागालैंड	33,554	67,108,000	30,459	60,918,000
ओडिशा	962,115	1,924,230,000	799,293	1,598,586,000
पुडुचेरी	4,200	8,400,000		0
पंजाब	1,275,440	2,550,880,000	1,144,648	2,289,296,000
राजस्थान	1,493,023	2,986,046,000		0
सिक्किम		0		0
तमिलनाडु	2,148,504	4,297,008,000	2,063,192	4,126,384,000
तेलंगाना	2,110,887	4,221,774,000	1,858,210	3,716,420,000
त्रिपुरा	151,095	302,190,000	151,064	302,128,000
उत्तर प्रदेश	11,169,349	22,338,698,000	10,848,667	21,697,334,000
उत्तराखंड	396,646	793,292,000	327,434	654,868,000
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
कुल	**33,314,898**	**66,629,796,000**	**28,959,068**	**57,918,136,000**

वर्ष 2018-19 के दौरान अनुमानित प्रचालनात्मक जोत			
क्र॰सं॰	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**अनुमानित जोत 2018-19**	
		छोटी व सीमांत जोतों की अनुमानित सं॰('000 संख्या में)	**सभी जोतों की अनुमानित संख्या**
I	**II**	III	IV
1	**आंध्र प्रदेश**	7756.78	9060.622
2	**अरुणाचल प्रदेश**	50.85	115.261
3	**असम**	2261.53	2752.922
4	**बिहार**	15716.21	17080.379
5	**छत्तीसगढ़**	3305.92	4145.911
6	**गोवा**	50.99	59.625
7	**गुजरात**	3693.82	5566.106
8	**हरियाणा**	1073.45	1644.072
9	**हिमाचल प्रदेश**	864.38	1021.356
10	**जम्मू और कश्मीर**	1299.34	1436.069
11	**झारखंड**	2205.61	2759.963
12	**कर्नाटक**	7098.51	9088.868
13	**केरल**	7373.87	7848.898
14	**मध्य प्रदेश**	8015.40	10805.149
15	**महाराष्ट्र**	11819.96	15100.885
16	**मणिपुर**	119.26	151.237
17	**मेघालय**	179.58	243.368
18	**मिजोरम**	68.62	90.239
19	**नागालैंड**	42.50	207.591
20	**ओडिशा**	4683.90	5057.212
21	**पंजाब**	358.50	1126.501
22	**राजस्थान**	5015.59	8211.322
23	**सिक्किम**	55.09	66.278
24	**तमिलनाडु**	6950.65	7902.531
25	**तेलंगाना**	5368.40	6322.237
26	**त्रिपुरा**	527.41	578.471
27	**उत्तर प्रदेश**	21481.58	24370.682
28	**उत्तराखंड**	765.21	874.070
29	**पश्चिम बंगाल**	6711.23	7356.557
30	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**	7.55	12.126
31	**चंडीगढ़**	0.00	0.689
32	**दादरा एवं नागर हवेली**	11.96	15.337
33	**दमन एवं दीव**	7.48	8.321
34	**दिल्ली**	15.88	19.857
35	**लक्षद्वीप**	9.51	10.522
36	**पुडुचेरी**	31.35	34.764
अखिल भारत		**124999.05**	**151146.000**

****